न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–राजेन्द्र विजय आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या– 03 / 2018

बउनवान

राज्य सरकार जर्ये प्रवर्तन निरीक्षक, बारां जिला–बारां(राज.) (प्रार्थी)

बनाम

श्री विक्की पुत्र श्री जानकीलाल चाट पकौडी ठेलाल पेट्रोल पम्प के सामने, चारमूर्ति चौराहा, बारां (अप्रार्थी)

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 धारा, 6(ए) के तहत

उपस्थिति :–1. पेरोकार रसद (प्रार्थी)

निर्णय दिनांक– 08.02.2021

1– प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक, बारां ने इस्तगासा विरूद्व अप्रार्थी अन्तर्गत धारा, 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत कर इस्तगासे में अंकित किया है कि दिनांक 09.04.2018 को बारां शहर में घरेलू सिलेण्डरों के बढ़ते व्यवसायिक उपयोग की शिकायत पर मै0 शर्मा दाल बाटी सेंटर, चारमूर्ति चौराहा बारां पर दल सहित पहुँचे। रेस्टोरेन्ट की जॉच के दौरान मौके पर विक्की पुत्र जानकीलाल उपस्थित मिले। जिसकी जॉच करने पर मौके पर 3 घरेलू सिलेण्डर(14.2 के.जी) एक गैस भट्टी चूल्हा पाया गया। इनमें एक गैस सिलेण्डर भट्टी से जुडा हुआ था तथा दो सिलेण्डर असी प्रयोजनार्थ परिसर में रखे हुये थे। इस पर उपस्थित विक्की से पूछताछ करने पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया तथा इस बाबत कोई दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किया। गैस सिलेण्डरों का विवरण निम्न प्रकार है–

क0सं0	सिलेण्डर का एस.आर.नं0	कम्पनी	सिलेण्डर पर उपदर्शित एल.पी.जी. का मानक भार	खाली सिलेण्डरो का टेयरवेट	भौतिक सत्यापन पर सिलेण्डर का भार मय एल.पी.जी	शुद्ध गैस का भार
1	520546	HPCL	14.2	15.6	15.6	0
2	482941	HPCL	14.2	15.7	22.0	6.3
3	224171	HPCL	14.2	15.8	15.9	0.01

इस प्रकार उक्त मालिक ... घरेलू प्रयोजनार्थ सिलेण्डरों का अपने व्यवसयिक हितो की पूर्ति में काम में लिया जो नियम विरूद्व है तथा राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन एवं विनियमन) आदेश 1990 के खण्ड 3(1) तथा द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3(2) का स्पष्ट उल्लघंन है। मौके पर उक्त घरेलू गैस सिलेण्डरो को जप्त ... कर रूबरू मौतबिरान श्री भॅवरसिंह पुत्र अखेराज सिंह नि. अभिमन्यु विहार कॉलोनी प्रतिनिधि मै. राज एचपी गैस एजेन्सी, बारां की सुपुर्दगी में दिये गये। इस प्रकार जप्तशुदा 3 घरेलू गैस सिलेण्डरों मय 6.4 किग्रा. गैस एवं एक गैस भट्टी चूल्हे का नियमानुसार आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत राजसात किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Vijay
Date: 2021.10.04 12:39:17 IST
Reason: SelfAttested

2— प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया। अप्रार्थी न्यायालय हाजा में अनुपस्थित रहा है। अप्रार्थी के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाहीं अमल में लायी गयी तथा बहस पेरोकार रसद सुनी गयी।

3— बहस के दौरान विद्वान पेरोकार सरकार ने इस्तगासे में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि बारां शहर में घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक प्रयोजनार्थ कार्य में लिये जाने की शिकायत प्राप्त होने पर, गठित दल के साथ दिनांक 9.4.2018 को अप्रार्थी के व्यवसायिक चाट पकौडी ठेला पर पहुॅचकर जॉच की गयी। जॉच के दौरान ठेले पर मौके पर 3 घरेलू सिलेण्डर एक गैस चूल्हा पाया गया। जिनमें से एक गैस सिलेण्डर भट्टी से जुडा हुआ था तथा दो गैस सिलेण्डर इसी प्रयोजनार्थ रखे हुये थे। मौके पर उपस्थित व्यवसायिक मालिक से इसके संबंध में पूछताछ की गयी। किन्तु उनके द्वारा कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक प्रयोजनार्थ उपयोग में लिया गया है, जो विधि विरूद्व एवं राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन व नियंत्रण) आदेश 1990 के खण्ड 3(1) तथा द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3(2) के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघंन है एवं दंडनीय अपराध है। अतः जप्तशुदा तीन घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस एवं एक चूल्हे का राजसात किया जावे।

4— हमने विद्वान पेरोकार रसद की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड दस्तावेजात् का आद्योपांत अवलोकन किया गया जिससे पाया जाता है कि प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक, बारां द्वारा अप्रार्थी व्यवसायिक ठेला चारमूर्ति चौराहा, बारां पर घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक उपयोग में लिये जाने पर, मौके पर 3 गैस सिलेण्डरों एवं भट्टी को जप्त किया गया है। इस परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे पाया जाता है कि प्रवर्तन निरीक्षक, बारां द्वारा अप्रार्थी के व्यवसायिक ढेले पर मौके पर जप्तशुदा एक गैस सिलेण्डर भट्टी से जुडा हुआ पाया गया है। इसी आधार पर मौके पर गैस सिलेण्डरो एवं भट्टी को जप्त किया गया है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा उक्त जप्तशुदा घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक उपयोग में लिया जाना प्रमाणित है, जो अप्रार्थी की घोर अनियमितता की श्रेणी में आता है।

5— परिणामस्वरूप, प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक, बारां द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में उपरोक्तानुसार जप्तशुदा 3 गैस सिलेण्डर HPCL मय 6.4 किग्रा. गैस एवं एक गैस भट्टी [illegible] राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी, बारां को निर्देशित किया जाता है कि जप्तशुदा सामान को अंतरिम सुपुर्दगीदार से प्राप्त कर, [illegible] सिलेण्डरों को संबंधित कम्पनी एच0पी0 में जमा कराकर, रसीद प्राप्त कर तथा भट्टी चुल्हे का खुलो नीलामी में विक्रय कराकर, प्राप्त आय को राजकीय राजसात मद में जमा करावे।

निर्णय आज दिनांक 08.02.2021 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(राजेन्द्र विजय)
जिला कलक्टर,बारां

जिला कलक्टर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Vijay
Date: 2021.10.04 12:09:17 IST
Reason: SelfAttested